


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)

प्रार्थना-पत्र नम्बर	110 / 2021	GCMS No. 2021/132
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
23.07.2021	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का अवलोकन किया गया। जमाबंदी अनुसार संबंधित खातेदार की सहमति नही होने से प्रार्थना-पत्र काबिल खारिज है। अतः प्रार्थना-पत्र सहमति के अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	
	<p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)</p>	
	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	

